

20.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी के वकील ने इस निगरानी आवेदन को पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए विद्वा (Withdraw) किया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन जरिये विद्वा (Withdraw) खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

पुनः पेश करने के
अधिकार को
सुरक्षित रखते
हुए प्रार्थी
विद्वा (Not pres)
करना चाहता है
७/१२/२२

